(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2298–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–6–16 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त तिरला जिला धार प्रकरण क्रमांक 12/अ–27/2015–16.

पुनीबाई बेवा शंकरलाल
निवासी ग्राम मतलबपुरा
तहसील व जिला धार .....आवेदिका

विरूद्ध

1– उषाबाई बेवा हरिश्चंद्र
2– मयुर पिता हरिश्चंद्र
3– सचिन पिता हरिश्चंद्र
क्रमांक 2 व 3 नाबालिग पालनकर्ता
माता उषाबाई बेवा हरिश्चंद्र
4– लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल
5– राजेन्द्र पिता शंकरलाल
6– कमल पिता शंकरलाल
7– रमेश पिता शंकरलाल
8– मनुबाई बेवा हरिश्चन्द्र
9– जितेन्द्र पिता हरिश्चन्द्र
10– कल्पना पिता हरिश्चन्द्र
निवासीगण ग्राम मतलबपुरा
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1, 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/3/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, वृत्त तिरला जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार धार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार, वृत्त तिरला जिला धार द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–27/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अनावेदिका कमांक 1 शंकरलाल के वारिसानों को बिना पक्षकार बनाये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं, जो कि निरस्त किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 8–6–16 को अन्तरिम आदेश पारित कर आपत्ति निरस्त की गई । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका मृतक भूमिस्वामी शंकरलाल की वारिस है, परन्तु उसे बिना पक्षकार बनाये तहसील न्यायालय द्वारा बटवारे की कार्यवाही की जा रही है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी शंकरलाल के उभय पक्ष वारिस हैं और आवेदिका मृतक भूमिस्वामी शंकरलाल की पत्नी है, इसलिए वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । ऐसी स्थिति में उसे पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर देना न्यायहित में आवश्यक था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं कर, उसकी आपत्ति निरस्त करने में त्रुटि की गई है । उसके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1, 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि में सह खातेदार नहीं है, इसलिए संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में वह हितबद्ध पक्षकार नहीं है । अतः आवेदिका की आपत्ति निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न खसरे की प्रति के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि मूल भूमिस्वामी शंकरलाल की मृत्यु उपरांत उसके स्थान पर उसके वारिसानों का नामान्तरण हो चुका है । यह प्रकरण बटवारे का है और बटवारे की कार्यवाही अभिलिखित खातेदारों के मध्य ही होता है । चूंकि आवेदिका प्रश्नाधीन

भूमि की सहखातेदार नहीं है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियतिता नहीं की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, वृत्त तिरला जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर